119

संख्या-2074/XXVIII(1)/2013-47/2011

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड।

देहरादूनः दिनांक 05 अगस्त, 2013

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1

विषयः– **राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर हेतु मढ़ी कालोनी, चौरांस परिसर में स्थित आवासों की मरम्मत के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–7प/1/मे0का0/2002/15381 दिनांक 20.06.2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर में मढ़ी कालोनी चौरांस परिसर में स्थित आवासों टाईप–1 ब्लॉक 09 एवं 10 की मरम्मत कार्य हेतु कार्यदायी संस्था एन0बी0सी0सी0 द्वारा प्रस्तुत आगणन रू0 202.00 तथा टी0ए0सी0 द्वारा आगणित धनराशि रू0 175.80 लाख के सापेक्ष औचित्य पूर्ण धनराशि 133.39/– लाख (रू0 एक करोड तैतीस लाख उनचालीस हजार मात्र) एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के प्राविधानों के अन्तर्गत रू0 26.20 लाख कुल रू0 159.59 लाख (एक करोड उनसठ लाख उनसठ हजार मात्र) की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष इतनी ही धनराशि के व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
2. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृति की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
3. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखमे हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करे।
4. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।
5. विस्तृत आगणन में प्राविधनित डिजायन एवं मात्राओं हेतु संबंधित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरादायी होंगे।
6. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।

7. मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219 (2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कडाई से पालन करने का कष्ट करें।

8. आगणन गठित करने समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व Uttarakhand Procurement Rules, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

9. कार्य की प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा विलम्ब की दशा में आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा। उक्त कार्य के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

10. उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय व्यय में अनुदान संख्या–12 के लेखा शीर्षक–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूजीगत परिव्यय–आयोजनागत–03–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी–03–श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के मानक मद–00–24–वृहद निर्माण कार्यो के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के नामें डाला जायेगा।

11. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या–57(P)/XXVII(3)/2013-14 दिनांक 12.08.2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

/

(मनीषा पंवार)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, पौडी गढवाल।
3. निदेशक, कोषागार उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
4. अपर निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, 107, चन्दर नगर, देहरादून।
5. महाप्रबंधक, एन0.बी0सी0सी0, 29 सी राजपुर रोड देहरादून।
6. प्राचार्य, वीर चन्द्र सिंह गढवाली राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान श्रीनगर गढवाल।
7. मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून / पौडी गढ़वाल।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
9. वित्त विभाग–03 / नियोजन विभाग / एन0आई0सी0।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रविनाथ रामन)
अपर सचिव।

G:\2013\MEDICAL COLLEGE\Doon Medical\Medical_University_1_.doc